संख्या- 16 /2016/4716/71-2-15-44/2014

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 04 फरवरी, 2016**

विषय:- पी0एल0ए0 में जमा धनराशि के आहरण के संबंध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक संस्थान के पत्र संख्या-3430/ई/रिम्सएण्डआर/बजट/2015-16 दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-1107/71-2-15-44/2014 दिनांक 31-03-2015 एवं शासनादेश संख्या-64/2015/1928/71-2-15-44/2014 दिनांक 16 जुलाई, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1107/71-2-15-44/2014 दिनांक 31-03-2015 द्वारा पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि में अवशेष धनराशि के सापेक्ष निम्नानुसार धनराशि के आहरण की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते है:-

(धनराशि-लाख में।)

क्र0	संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि	पी0एल0ए0 संख्या जिसमें धनराशि रक्षित है।	पी0एल0ए0 से आहरित की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई इटावा।	**2256.00**	जिलाधिकारी इटावा (डी0आर0डी0ए0) के पी0एल0ए0 संख्या-8448001200500	**1577.41**
2	पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, सैफई इटावा।	**143.00**	जिलाधिकारी इटावा (डी0आर0डी0ए0) के पी0एल0ए0 संख्या-8448001200500	**97.67**

2- उक्त आहरित धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो के लिए किया जायेगा जिन कार्यो के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है। अन्य मदों में खर्च वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

3- किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि का उपयोग जिन कार्यो के लिए किया जाना है उसका गुण दोष एवं वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता का पूर्ण दायित्व निदेशक का होगा तथा विशिष्टियां, मानक तथा गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

4- उपकरण क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश में उल्लिखित समस्त शर्तो, वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त आहरित धनराशि का उपयोग समस्त वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा तथा सम्पूर्ण भुगतान की गयी धनराशि में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे चालान द्वारा राजकोष में जमा कराकर शासन/वित्त विभाग को अवगत कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- धनराशि को कोषागार से संबंधित वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा कोषागार से आहरण हेतु बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-3/132/दस-2016 दिनांक 28 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 16/2016/4716(1)/71-2-15-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. कोषाधिकारी, इटावा ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ ।
4. वित्त नियंत्रक, आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनु. 2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।